न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस **नम्बर 2023/431**

1. श्रीमती सन्ती सैनी पत्नि स्व. श्री प्रभू जाति माली निवासी डूंगरी वालों की ढाणी, ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर

—अपीलांट

बनाम

1. रतन लाल सैनी पुत्र स्व. श्री नानगराम सैनी जाति माली, निवासी डूंगरी वालों की ढाणी, ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर।

—रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित—

1. श्री मुकेश शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकुमार शर्मा रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—05.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 26.09.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर की विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1106 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.4806 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1289 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1290 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1292 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1293 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1295 रकबा 0.4932 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1296 रकबा 0.4426 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 2.7189 हैक्टेयर के तहसीलदार जयपुर द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1602 दिनांक 02.05.2023 को गलत बताते हुये नामान्तरकरण निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2023 को अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः तहसीलदार जयपुर को उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाकर नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

3. जिला कलक्टर जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 26.09.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमती सन्ती सैनी पत्नि स्व. श्री प्रभू जाति माली द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 26.09.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर की विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1106 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.4806 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1289 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1290 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1292 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1293 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1295 रकबा 0.4932 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1296 रकबा 0.4426 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 2.7189 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें 1/2 हिस्सा अपीलार्थीया श्रीमती सन्ती सैनी के पति प्रभु का दर्ज रहा है। अपीलार्थीया श्रीमति सन्ती सैनी के पति प्रभु का दिनांक 21.03.2019 को देहान्त हो चुका है। अपीलार्थीया व उसके पति प्रभु के कभी भी कोई जीवित व मृत सन्तान नहीं हुई है। यहाँ तक की अपीलार्थीया कभी भी गर्भवती नहीं हुई तथा ना ही उसने किसी बच्चे को जन्म दिया। इस प्रकार प्रभु ना ओलाद फौत हुआ। इस प्रकार अपीलार्थीया प्रभु की पत्नि होने व प्रभु के नाओलाद फौत होने से वह ही प्रभु की एकमात्र जीवित वारिस है, जिस कारण प्रभु के मालिकाना हक व आधिपत्य की उक्त भूमियों का अपीलार्थीया के नाम दिनांक 02.05.2023 को तहसीलदार जयपुर द्वारा विधिनुसार नामान्तरण संख्या 1602 खोला गया एवं प्रभु की उक्त भूमियां राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रत्यर्थी संख्या 1 रतन लाल सैनी अपीलार्थीया के पति प्रभू का पुत्र नहीं था, अपितु वह तो अपीलार्थीया के जेठ अर्थात अपीलार्थीया के पति प्रभु के भाई नानगराम का पुत्र है। जिसने गलत नीयत के उद्देश्य से उसने व उसके परिवारजन ने आपस में साज कर नानगराम के पुत्र रतन के दस्तावेजों में असल पिता नाम नही लिखवाकर अपीलार्थीया के पति प्रभु का नाम गलत रूप से दर्ज करवा लिया। अतः अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा दिनांक 26.09.2023 को बिना धारा 96 सी.पी.सी के आवेदन बाबत अपील प्रस्तुती हेतु अनुमति दिये जाने पर कोई आदेश पारित किये बिना ही एवं बिना तथ्यों पर गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर दिनांक 26.09.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के पिता प्रभूदयाल पुत्र घीस्या के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज थी। जिस पर प्रार्थी अपने पिता के समय से ही काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता के फौत होने के पश्चात प्रार्थी का 1/2 हिस्सा नियमानुसार निहित है। नामान्तरण संख्या 1602 दिनांक 02.05.2023 में वर्णित भूमि का नामान्तकरण प्रार्थी व अपीलांट के नाम बराबर हिस्सा दर्ज होना चाहिए था लेकिन पटवारी हल्का तत्कालीन ने प्रार्थी के पिता के विधिक वारिसान की जॉच किये बिना ही बाला–बाला ही अपीलार्थी श्रीमती सन्ती सैनी पत्नि स्व. श्री प्रभू के नाम दर्ज कर दिया। प्रार्थी के आधार–कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजात् में भी पिता का नाम प्रभूदयाल ही अंकित है जिससे सिद्व होता है कि प्रार्थी प्रभूदयाल का प्रथम श्रेणी विधिक वारिस है। जिस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् अपील स्वीकार कर तहसीलदार जयपुर को प्रकरण पुनः तहसीलदार जयपुर को उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाकर नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। उक्त तथ्यों की जानकारी भी बखूबी होने के थी उक्त समस्त प्रकार की कार्यवाही मात्र रेस्पोडेन्ट को उसके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है, इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् ही

मृतक वारिस के नाम विधिवत् नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद नामान्तरकरण संख्या 1602 दिनांक 02.05.2023 को लेकर है जो कि प्रभूदयाल पुत्र घीस्या के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 दर्ज है। अपीलांट का कथन है कि वह उसका पति नाऔलाद फौत हुआ है वह उसकी एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि नामान्तरकरण संख्या 1602 दिनांक 02.05.2023 तस्दीक करते समय पटवारी एवं गिरदावर द्वारा रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि खातेदार प्रभू पुत्र घीस्या की मृत्यु उपरान्त एकमात्र पत्नी वारिसान है एवं उसके कोई पुत्र व पुत्री नहीं है एवं तहसीलदार ने भी मुताबिक रिपोर्ट ही वारिसान् के नाम ही नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये हैं जो कि उचित है। अगर किसी पक्षकार को वारिसान के संदर्भ में आपत्ति है तो वह सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2023 पारित करने में विधिक त्रुटि की है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर का उक्त निर्णय दिनांक 26.09.2023 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार जयपुर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 1602 दिनांक 02.05.2023 ग्राम जयसिंहपुरा खोर बहाल किया जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।